(138)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, कैम्प कोर्ट, रीवा म0प्र0

निगरानी क्र0 R. 5383-पी/2016

जवाहर लाल तनय भोद्दू लाल उम्र 60 वर्ष, पेशा खेती, निवासी ग्राम पो0 खड्डा, तह0 सिरमौर, जिला रीवा म0प्र0 वर्तमान तह0 सेमरिया जिला रीवा म0प्र0 —— निगरानीकर्ता

बनाम

श्रीमती रानी सिंह पत्नी श्री अनूप सिंह उम्र 40 वर्ष, पेशा खेती, निवासी ग्राम पो0 खड्डा, तह0 सेमरिया जिला रीवा म0प्र0 — गैर निगरानीकर्तागण

आवेदक अभिभाषक श्री महेश तिवारी एड. द्वारा पेश। 31-8-16

31.8.16

रीडर

कलर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक के आदेश दि0 29-7-2010, आ0नं0 93/3 एवं 93/1, 93/2

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व सं0 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1:- यहकि आर0 आई, पटवारी का आदेश दि0 29-7-2010 विधि विरुद्ध होने से निरस्त योग्य है। तथा बिना क्षेत्राधिकार के पटवारी, आर0आई0 द्वारा नक्शा तरमीम का आदेश दि0 29-7-2010 को पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

2:- यहकि निगरानीकर्ता आ0 नं0 93/1 रकबा 0.81 ए0 एवं आ0 नं0 93/2 रकबा 0.80 ए0 स्थित ग्राम खड्डा, तह0 सेमरिया जिला रीवा का मालिक भूमिस्वामी आधिपत्यधारी है व राजस्व अभिलेख मे निगरानीकर्ता का नाम भूमिस्वामी के रूप मे दर्ज है।

3:- यहकि निगरानीकर्ता द्वारा आ0 नं0 93/1 रकबा 0.81ए0, 93/2 रकबा 0.80 ए0 जिसकी मेड़ आ0 नं0 94/1 एवं 94/2 व अन्य जमीन को

जवाहर सिंह

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 5383–दो/2016 निगरानी जिला रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-09-17	यह निगरानी राजस्व निरीक्षक वृत्त शाहपुर तहसील सेमरिया जिला रीवा के व्दारा आदेश दिनांक 29–7–2010 से भूमि ग्राम खडडा की भूमि सर्वे क्रमांक 93/3 एंव 83/1, 93/2 का पेन्सिल से किये गये नक्शा तरमीम के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत नक्शा अक्स की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से परिलक्षित है कि राजस्व निरीक्षक ने ग्राम खडडा की भूमि सर्वे क्रमांक 93/3 एंव 83/1, 93/2 का पेन्सिल से नक्शा तर्मीम किया है। नक्शा तरमीम कार्यवाही मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 68 सहपठित 70 के अंतर्गत की जाती है एंव इन धाराओं के अंतर्गत की गई कार्यवाही/आदेश अपील योग्य होता है, जिसके कारण सीधे राजस्व मण्डल में प्रस्तुत निगरानी पर विचार करना पक्षकार के अपीलीय न्यायालयों में प्राप्त होने वाले अनुतोष से दूर किये जाने की परिधि में माना जावेगा। आवेदक चाहे, इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने के उपरांत सक्षम न्यायालय में 15 दिवस के भीतर अपील प्रस्तुत कर सकता है। तद्नुसार निगरानी में गुणदोष पर विचार किये बिना इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है। सदस्य	